न्यायालय उपखण्डाधिकारी सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर
पीठासीन अधिकारी का नाम :– हवाई सिंह यादव (आर.ए.एस.)
प्रकरण संख्या :– 732/ 2019

1 हरविन्द्र सिंह पुत्र मेघ सिंह जाति जट सिख निवासी चक केरा तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर
2 हरप्रीत कौर पत्नी हरविन्द्र सिंह पुत्र मेघ सिंह जाति जट सिख निवासी चक केरा तहसील सादुलशहर जिला श्रीगगानगर
3 गुरविन्द्र सहि पुत्र मेघ सिंह जाति जट सिख निवासी चक केरा तहसील सादुलशहर जिला श्रीगगानगर
4 सतवीर कौर पत्नी गुरविन्द्र सिंह पुत्र मेघ सिंह जाति जट सिख निवासी चक केरा तहसील सादुलशहर जिला श्रीगगानगर

वादीगण

बनाम

1 मेघ सिंह पुत्र मलकीत सिह जाति जट सिख निवासी चक केरा तहसील सादुलशहर जिला श्रीगगानगर
2 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) सादुलशहर

प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 88,92 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित विद्वान अधिवक्तागण :–
1 श्री रेशम सिंह अधिवक्ता (वादीगण)
2 श्री सन्दीप कुमार अधिवक्ता (प्रतिवादी संख्या 1)
3 राजपैरोकार वास्ते स्टेट

निर्णय **दिनांक :–** 31/10/19

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण ने प्रतिवादीगण के विरूद्व अन्तर्गत 88,92 ए आर.टी.ए. के तहत इस न्यायालय में इन अभिकथनों के साथ प्रस्तुत किया कि चक 2 एल एल जी के खाता संख्या 87/86 प.न. 38/158 मु.न. 25 कि.न. 1 ता 25 में कुल 6.325 है. नहरी मय खाला आराजी प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज कागजात माल है। चक 2 एल एल जी के खाता संख्या 88/121/97 प.न. 40/158 मु.न. 27 कि.न. 17 ता 19, 21 ता 24 प.न. 41/158 मु.न. 28 कि.न. 21/2, 22 प.न. 41/159 मु.न. 30 कि.न. 1, 2/2, 9/2, 10 कुल खाता 13 किता में 2.657 है. नहरी बारानी मय गे. मु. रासता आराजी प्रतिवादीसंख्या 1 के नाम से दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। वादीगण एव प्रतिवादी संख्या 1 एक ही परिवार के सदस्य है एव प्रतिवादी संखय 1 ने अपने नामसे दर्ज चक 2 एल एल जी के खाता संख्या 87/86 प.न. 38/158 मु.न .25 कि.न. 1 ता 25 में कुल 6.325 है. नहरी मय खाला आराजी जिसमें से वादी संख्या 1 व 2 को ब.हि. ब. प.न. 38/158 मु.न. 25 कि.न .1, 2, 9, 10 ,11, 12, सालम कि.न. 13 में 0.127 हे. कि.न. 18, 19, 20, 21, 22, 23 सालम कुल 12 बीघा 10 बिस्वा यानि 3.163 है. आाजी एव वादी संख्या 3 व 4 को ब.हि.ब. प.न. 38/158 मु.न. 25 कि.न. 3, 4, 5, 6, 7, 8 सालम कि.न. 13 में 0.126 है. कि.न. 14, 15, 16, 17, 24, 25 कुल 12 बीघा 10 बिसवा आराजी यानि 3.162 है. आराजी दे रखी है एव अपने पास चक 2 एल एल जी के खाता संख्या 88/121/97 की कुल खाता 13 किता में 2.657 है. नहरी बारानी मय गै.मु. रास्ता आराजी रखी है। प्रतिवादी संख्या 1 ने अपने नाम से दर्ज उक्त आराजी को कभी भी काश्त नही कियाहै, एव ना ही मौका पर कब्जा प्रतिवादी संख्या 1 का है उक्त आराजी प्रतिवादीसंखय 1 द्वारा वादीगण के पक्ष में छोड दी थी तब से लेकर

आराजी राजस्व रिकॉर्ड में वादीगण के नाम से दर्ज न होने के कारण वादीगण को पानी की बारी, रकम अदायगी बैंक ऋण लेने जैसे अनेक प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है, इस कारण वादीगण उक्त वादग्रस्त आराजी की खातेदारी घोषणा राजस्व रिकॉर्ड में अपने नाम से करवा करइस हद तक प्रतिवादी संख्या 1 का नाम कलमजन करवाने के कानूनन हक अधिकारी है। वगैरा –वगैरा।

लिहाजा वाद वादीगण मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि इस आशय की घोषणा की जावे कि चक 2 एल एल जी के खाता संख्या 87/86 में वादीसंख्या 1 व 2 को ब.हि.ब. प.न. 38/158 मु.न. 25 कि.न. 1, 2, 9, 10 ,11, 12 सालम कि.न. 13 में 0.127 है., कि.न. 18, 19, 20, 21, 22, 23 सालम कुल 12बीघा10 बिस्वा यानि 3.163 है. आराजी के एवं वादी संख्या 3 व 4को ब.हि.ब. प.न. 38/158 मु.न. 25 कि.न. 3,4, 5, 6, 7, 8 सालम कि.न.13 में 0.126 है., कि.न. 14, 15, 16, 17, 24, 25 सालम कुल 12 बीघा 10 बिस्वा यानि 3.162 है. आराजी के खातेदार काश्तकार है।

वाद पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया प्रतिवादी संख्या 1 ने जरिये वकील उपस्थित होकर इकबाल दावा पेश कर वाद वादीगण स्वीकार किये जाने का निवेदन किया। जवाब स्टेट पेश हुआ , राज्यहित को ध्यान में रखते हुये वाद वादीगण स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

बहस सुनी गयी। दौराने बहस वकील वादीगण ने मुताबिक पारिवारिक बंटवारा वाद पत्र डिक्री किये जाने का निवेदन किया। वकील प्रतिवादी ने वादीगण के कथनों में अपनी सहमति प्रकट की, एव वाद वादी स्वीकार किये जाने का निवेदन किया पत्रावली का अवलोकन किया गया, वादीगण एव प्रतिवादी के मध्य परिवारिक बंटवारा हुआ है एंव वादीगण एवं प्रतिवादी एक ही परिवार के सदस्य है एवं मुताबिक पारिवारिक बंटवारा वादीगण एव प्रतिवादी ने एक दूसरे की कब्जा काश्त को स्वीकार किया है, वादाधीन आराजी संयुक्त परिवार की सम्पति है, एव वादीगण द्वारा सहदायिकी सम्पति में घोषणा की मांग की है ,एव प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा वादीगण की कब्जा काश्त के सम्बध में कोई विरोध नही किया है, इस प्रकार वादीगण ने अपने दावा को दस्तावेजी साक्ष्यों, ईकबाल कथनों व बहस के आधार पर बखूबी साबित किया है एवं वाद वादीगण स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाना न्यायोचित है।

क्रियात्मक आदेश

अतः वाद वादीगण स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है तथा तहसीलदार (राजस्व) सादुलशहर को आदेशित किया जाता है कि :– चक 2 एल एल जी के खाता संख्या 87/86 में वादी संख्या 1 व 2 को ब.हि.ब. प.न. 38/158 मु.न. 25 कि.न. 1, 2, 9, 10 ,11, 12 सालम कि.न. 13 में 0.127 है., कि.न. 18, 19, 20, 21, 22, 23 सालम कुल 12बीघा10 बिस्वा यानि 3.163 है. आराजी के एवं वादी संख्या 3 व 4को ब.हि.ब. प.न. 38/158 मु.न. 25 कि.न. 3,4, 5, 6, 7, 8 सालम कि.न.13 में 0.126 है., कि.न. 14, 15, 16, 17, 24, 25 सालम कुल 12 बीघा 10 बिस्वा यानि 3.162 है. आराजी के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एव इस हद तक उक्त खाता संख्या 87/86 से प्रतिवादी संख्या 1 का नाम कलमजन किया जाता है। उक्तानूसार ही वादीगण के नाम राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे। उक्तानुसार ही पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैंसल शुमार होकर बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 31/10/19 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

हवाई सिंह यादव (आर.ए.एस.)

संख्याक–01

मूल वाद में डिक्री (आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्डाधिकारी सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी का नाम :– हवाई सिंह यादव (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :– 732 / 2019

1 हरविन्द्र सिंह पुत्र मेघ सिंह जाति जट सिख निवासी चक केरा तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर

2 हरप्रीत कौर पत्नी हरविन्द्र सिंह पुत्र मेघ सिंह जाति जट सिख निवासी चक केरा तहसील सादुलशहर जिला श्रीगगानगर

3 गुरविन्द्र सहि पुत्र मेघ सिंह जाति जट सिख निवासी चक केरा तहसील सादुलशहर जिला श्रीगगानगर

4 सतवीर कौर पत्नी गुरविन्द्र सिंह पुत्र मेघ सिंह जाति जट सिख निवासी चक केरा तहसील सादुलशहर जिला श्रीगगानगर

वादीगण

बनाम

1 मेघ सिंह पुत्र मलकीत सिह जाति जट सिख निवासी चक केरा तहसील सादुलशहर जिला श्रीगगानगर

2 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) सादुलशहर

प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 88,92 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

डिक्री

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ हवाई सिंह यादव वास्ते इनफिसाल कत्तई रोबरू हमारे बहाजरी श्री रेशम सिह वकील वादीगण मिन जामिन मुद्दई श्री सन्दीप कुमार वकील प्रतिवादीगण मिन जानिब मुद्दायला पेश होकर हुक्म दिया जाता है व वाद वादीगण स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है तहसीलदार (राजस्व) सादुलशहर को आदेशित किया जाता है कि:– चक 2 एल एल जी के खाता संख्या 87/86 में वादी संख्या 1 व 2 को ब.हि.ब. प.न. 38/158 मु.न. 25 कि.न. 1, 2, 9, 10 ,11, 12 सालम कि.न. 13 में 0.127 है., कि.न. 18, 19, 20, 21, 22, 23 सालम कुल 12बीघा10 बिस्वा यानि 3.163 है. आराजी के एवं वादी संख्या 3 व 4को ब.हि.ब. प.न. 38/158 मु. न. 25 कि.न. 3,4, 5, 6, 7, 8 सालम कि.न.13 में 0.126 है., कि.न. 14, 15, 16, 17, 24, 25 सालम कुल 12 बीघा 10 बिस्वा यानि 3.162 है. आराजी के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एव इस हद तक उक्त खाता संख्या 87/86 से प्रतिवादी संख्या 1 का नाम कलमजन किया जाता है। उक्तानूसार ही वादीगण के नाम राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे।

बसख्त मेरे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 31/10/19 को जारी किया गया।

हवाई सिंह यादव (आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
सादुलशहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Hawai Singh Yadav
Date: 2019.11.13 10:42:15 IST
Reason: SelfAttested
Location: